Modi government controls black money

मोदी सरकार द्वारा कालाधन पर नियंत्रण

भारती कुमारी

Bharti Kumari, Department of Sociology

शोध–प्रज्ञा, समाजशास्त्र विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वद्यालय, दरभंगा

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के आरंम्भ से ही कालाधन की समस्या को नियंत्रित करने मे प्रतिबद्वता दिखाई है। मई 2014 में सत्ता में आते ही सरकार का सबसे पहला फैसला एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आईटी.)बनाने के रूप में सामने आया। माननीय न्यायधीश श्री एम.बी.शाह को इस एस.आईटी.का अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस एस.आई.टी.के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय को सम्मान से लागू करने के लिए की थी,जिसमें गैर–कानूनी तरीके से कर की चोरी करके विदेशों में बड़ी धन राशि जमा करने के खिलाफ करवाई करने को कहा गया था।

अपने गठन के उपरांत एस.आई.टी. ने विभिन्न रिर्पाट सौंपी जिनमें कालाधन पर नियंत्रण और उसकी खोज करने के उपाय सुझाये गए थे। एसआईटी के बहुत से सुझाव, जैसे, कैश कारोबार करने पर पैन संख्या के उल्लेख की अनिवार्य शर्त, सरकार द्वारा माने जा चुके हैं।

घरेलू बाजार से कालाधन की घर–पकड़ करने के लिए सरकार ने एक और सफल कदम के रूप में इनकम डिक्लेरेशन योजना (आईडीएस–2016) को लागू किया है। या जोजना घरेलू कालाधन की समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार की सबसे नयी पहल हैं सरकार ने इस योजना को पहली जून 2016 को औपचारिक रू‍ से शूरू कर दिया और इसे चार महीने बाद यानि 30 सितम्बर, 2016 तक जारी रखा गया। इस योजना ने ऐसे लोगों को अपनी छुपाई हुई घरेलू आय की घोषणा करने का एक मौका प्रदान किया जिन्होंने अतीत में कर का सही भुगतान नहीं किया था। यह घोषणा ऑनलाइन सहित या लिखित तरीके से 30 सितम्बर, 2016 की मध्यरात्रि तक 64275 घोषणा–पत्र दाखिले किये गए, जिनमें इसके पहले छुपाये जा रहे 62250 करोड़ रुपये नकदी और दूसरे रूपों में, सामने लाये गए। आईडीएस 2016 के अंतर्गत घोषणाकर्ता को घोषित आय के ऊपर 45 प्रतिशत कर के साथ 15 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ा था। इसके पहले सरकार ने निवेशों में जमा कालाधन को खोज निकालने के लिए अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति एवं कर अधिरोपण कानून, था, जिसका एक बार में अनुपालन होना था। काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एंव कर अधिरोपन कानून, 2015 के तहत 644 घोषणाएं की गयीं ।इन 644 घोषणओं में 4164 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। घोषणाकर्ताओं को 30 दिसम्बर, 2015 तक जमा करवानी थी। इस तिथि तक कर और जुर्माने को जोड़कर 2428 4 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 1

सरकार ने कालाधन को नियंत्रित करने के लिए कार चोरी को पीएमएल के तहत एक निर्दिष्ट अपराध बनाया और फेमा में संशोधन करके विदेशी संपत्ति की जगह घरेलू संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया साथ ही कालाधन कानून के अलावा बेनामी कानून को भी पारित किया है।

उपरोक्त के अलावा, कर चोरी पर सूचनाओं के आदान–प्रदान करने लिए कई अंतराष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एफएटीसीए, मॉरीशस अनुबंध का संशोशधन, बेस्ट इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) व प्लेस ऑफ इपेफक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएस) आदि के तहत कंट्री बाई कंट्री के आधार पर स्विट्जरलैंड समेत सभी प्रमुख देशों के साथ स्वतः सूचना विनिमय संधियों पर हस्ताक्षर की पहल आदि शामिल हैं।

एचएसबीसी से जुड़े मामलों में 8000 करोड़ रुपये के अनुमान के अलावा 175 मामलों में 164 मुकदमे दर्ज किया गए है। आईसीआईजे से जुड़े मामलों के अंतर्गत अब तक छुपाये गए 5000 करोड़ का पता चला है, जिनमें 55 मुकदमें दर्ज किए गऐ हैं। इस प्रकार की जांच में अप्रत्याशित तेजी आने के बाद 1986 करोड़ रुपये और 56378 करोड़ रुपये की अघोषित राशि पिछले ढ़ाई वर्षो में जब्त हुई हैं। सूचना प्रौद्यौगिक में हुए विकास के कारण कर चारी रोकने की दिशा में अतिक्रमण रहित तरीके सामने आये हैं। परिणामस्वरूप 16000 करोड़ रुपये कर के रूप में प्राप्त हुए हैं। 2016–2018 के बीच 3626 मामले सामने आये हैं, जो कि उसके पिछले दो वर्षों से दुगने हैं।

प्रत्यक्ष करों के मामले में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में पूर्वप्रभावी कर के कानूनों में बदलाव, आयकर विभाग द्वारा अपील फाइल करने की सीमा में बढ़ोतरी, और कर कानूनों को सुलभ और पारदर्शी बनाया गया हैं ताकि अधिक लोग कर प्रावधानों का अनुपालन कर सकें। इन सारे प्रयासों का मकसद कालाधन जमा करने में रोक लगाना हैं। सरकार की कोशिश है कि कर सम्बन्धी अधिकतम सुविधाएं ऑनलाइन की जाये, ताकि मानवीय अन्तः क्रिया न्यूनतम रहे, यानि, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शसन। इस कदम से भ्रष्टाचार में कमी को साथ ही , कर व्यवस्था और भी कारगर और पारदर्शी बनेगी।

30 सितम्बर 2016 तक बहुत से लोग देश भर के विभिन्न कर दफ्तरों में कतार लगाए रहे जबकि बहुत से लोग अपने कंप्यूटरों से चिपके रहे ताकि अपनी बेहिसाब धन–संपत्ति की घोषणा कर सकें। लगभग 64,275 व्यक्तियों ने सरकार के इस एकमात्र अवसर का लाभ उठाया और 1जून 2016 से प्रारंभ हुई चार माह की अवधी के तहत अपने कालाधन का खुलासा किया। इससे यह भी पता चलता है कि कालाधन के खिलाफ सरकार किस प्रकार युद्ध स्तर पर कमर कस चुकी है। इसके अलावा कालाधन की घोषणा करने वाले सभी लोग आयकर अधिनियम,संपति अधिनियम और बेनामी अधिनियम के तहत होने वाले मुकदमे से बच भी गए। हलांकि सरकार को सितंबर 2016 तक आय घोषणा योजना (आईडीएस) से 30000करोड़ रूपये प्राप्त हुए,जोकि घोषणा 65250 करोड़ रूपये का 45 प्रतिशत हैं,लेकिन यह सिर्फ एक शुरूआत है। प्रधांनमंत्री ने मिशन मोड के तहत कालाधन के खुलासे का काम अपने हाथ में लिया है। वह इससे पहले यह चतावनी दे चुके थे कि 30 सितंबर 2017 के बाद कड़े फैसले किए जाएंगे। देश की 120 करोड़ की आबादी में 5 प्रतिशत या 5.43 करोड़ लोग ही कर चुकाते हैं। ईमानदार करदाताओं को अक्सर कर चोरी करने वाले चंद व्यक्तियों का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में कालाधन के प्रवाह की मात्रा का पता लगाना मुश्किल है,बावजूद इसके विभिन्न अनुमानों और रिपोर्टो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह मात्रा 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के आकार के 20 से 70 प्रतिशत के बीच है। स्वीस सरकार का कहना है कि 2010 के अंत तक सभी स्वीस बैंको में भारतीय नागरीको का लगभग 9500करोड़ रूपये मूल्य का धन जमा था। करीब 8 लाख रूपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व में कॉरपोरेशन कर 60 और व्यक्तिगत इनकम कर 40 प्रतिशत हैं।इससे कर आधार की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था मे 25 करोड़ पैन कार्डधारक है लेकिन केवल 5.43 करोड़ कर चुकाते है।

मोदी सरकार ने कालाधन के खिलाफत कड़ा रुख अपनाया है। सरकार कालाधन के खतरे से निपटने के लिये एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही। आईडीएस के अतिरिक्त विदेशी संपति प्रकटीकरण विंडो, कालाधन के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, द्वपक्षीय कर संधियो पर नए सिरे से काम, 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन में पैन कार्ड अनिवार्य करना तथा विभिन्न देशों के साथ प्रोजेक्ट इनासाइड और हस्ताक्षर सूचना आदान.–प्रदान की संधिया करना, जैसे उपाय भी किए हैं। सबसे बड़ा कराधान सुधार तो वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) है जिससे अप्रत्यक्ष करों की चोरी मुश्किल हो गई है। जीएसटी से कर अनुपालन हेतु केंद्र और राज्यों की विभिन्न अप्रत्यक्ष उगाहियां जैसे सेवा कर,उत्पाद शुल्क,चुंगी,मूल्य वर्धित कर आादि शामिल किये गये हैं और इससे रिफंड के लिए एक इनपुट कर क्रेडिट श्रृंखला भी तैयार की गई है।

काला धन दो तरह का होता है एक वह जो भ्रष्ट्राचार के द्वारा सरकारी अधिकारीयों द्वारा रिश्वत के रूप में लिया जाता है और दूसरा वह जो सरकार को कर न देकर बचाया जाता है। अधिकारियों द्वारा जो रिश्वत ली जाती है उस काले धन से आम आदमी पिसता हैं। उसकी मेहनत की कमाई किसी और के लिए अय्याशी करने का साधन बनती हैं। और सरकार पर से आम आदमी का विश्वास धीरे–धीरे उठने लगता हैं। जबकि कर बचाकर जो काला धन बनाया जाता हैं उससे सरकार की राजस्व की हानि होती हैं। जीएसटी को काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश कहा जा सकता हैं। जो कर चोरी द्वारा पनपता हैं।

जीएसटी के दायरे में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। प्रत्यक्ष कर यथावत् ही हैं। जीएसटी से पूर्व अप्रत्यक्ष कर ग्राहक से तो लेलिए जाते थे लेकिन सरकार के खाते में पहुँच नहीं पाते थे। दरअसल जीएसटी से लागू होने से पूर्व भारतीय कर प्रणाली में जटीलताएँ बहुत थी। पहले भारतीय सविंधान के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर राज्य सरकार कर लेती थी और वस्तुएँ उत्पादक एवं सेवाओं पर केन्द्र सरकार। किसी समान के निर्माण के साथ ही सर्वप्रथम उस पर एक्साइज डयुटी और किसी मामले में एडीशनल एक्साइज डयूटी भी लगती थी। इसके बाद लगता था सर्विस टैक्स। यदि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो देना होता था एन्ट्री टैक्स । इसके बाद उसको लगता था उस राज्य का वैट यानी सेल टैक्स । और उस सामान का नाता मनोरंजन से होता था तो मनोरंजन अथवा लग्जरी टैक्स लगता था।

टैक्स का यह सिलसिला काफी लम्बा था। कुल मिलाकर अलग–अलग अलगभ 18 टैक्स लगते थे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह कि भारत का उपभोक्ता एक आम आदमी इन परिस्थितियों में टैक्स पर टैक्स देने को विवश तथा बावजूद इसके सरकारी खजाना खाली रहता था। और काले धन से व्यापारियों से तिजोरियाँ भरती थी। लेकिन जीएसटी के लागू हो जाने से न सिर्फ अलग –अलग प्रकार से टैक्सो से छुटकारा मिला है बल्कि पारदर्शिता के कारण कालाधन जमा करने वाले पर कुठाराघात हुआ हैं